## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–**

| क्र. | प्रकरण क्र. | अधिसूचित श्रेणी | परियोजना | SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित | प्राधिकरण का निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8301/2021 | 1(a) B1 | पत्थर एवं मुरूम खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 2. | 8021/2020 | 1(a) B1 | ग्रेनाईट पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 3. | 8054/2020 | 1(a) B1 | ग्रेनाईट पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 4. | 9084/2022 | 8 (a) | भवन निर्माण | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 5. | 9082/2022 | 1(a) B2 | मुरूम खदान | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 6. | 9074/2022 | 1(a) B2 | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पुर्नपरीक्षण |
| 7. | 9077/2022 | 8(a) B2 | रेड ऑकर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 8. | 9080/2022 | 1(a) B2 | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 9. | 9079/2022 | 1(a) B2 | ग्रेनाईट पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 10. | 9081/2022 | 1(a) B2 | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 11. | 9083/2022 | 1(a) B2 | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 12. | 8999/2022 | 1(a) B2 | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्पष्टीकरण |
| 13. | 6311/2019 | 1(a) B2 | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 14. | जिला शिवपुरी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (District Survey Report) | | | | |

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 का कार्यवाही विवरण

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा :–** | | | | | |
| 15. | 8272/2021 | 1(a) B1 | लाईमस्टोन खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 16. | 8292/2021 | 1(a) B1 | डोलोमाईट, सोपस्टोन एवं क्वार्टज खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| **C. रेत खनन के पर्यावरणीय स्वीकृति एवं पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण के प्रकरणों के निराकरण हेतु नीतिगत निर्णय –** | | | | | |

**1. प्रकरण कमांक 8301/2021 – परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष सिंह आत्मज श्री दुले सिंह रघुवंशी, निवासी – ग्राम जमोदी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) पत्थर – मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 12000 एवं मुरूम 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 213/3, 225/3 पैकी, रकबा 1.750 हेक्टेयर, ग्राम जमोदी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–**

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल जिला धार के पत्र क्र. 5191 दिनांक 15.10.2020 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।

2. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का आदेश क्र. 2395 दिनांक 30.12.2020 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

3. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.0 किलो लीटर प्रतिदिन है (1.5 केएलडी हरित पट्टी विकास + 0.05 केएलडी धूल धमन हेतु + 0.50 केएलडी पेयजल + 0. 50 अन्य खनन गतिविधि हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।

4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 2100 पेड़ बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, शासकीय विधालय इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।

5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 24.11.2021 को खनन क्षेत्र **ग्राम जमौदी, तहसील पीथमपुर, जिला धार** में अपर कलेक्टर, **धार** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 की अनुशंसा को

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मलित समस्त खदान धारको के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

V. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2100 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम जमौदी के ग्राम सड़क की मरम्मत की जाये एवं उसका रखरखाव किया जाये।
- ग्राम जमौदी के शासकीय माध्यमिक विधालय में पीने के पानी की व्यवस्था की जाये एवं वाटर कूलर मुहैया कराया जाये।
- ग्राम जमौदी में ग्रामवासियों के लिये विशेषकर गर्मी के मौसम वाटर टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था की जाये।
- ग्राम जमौदी में वर्ष में दो बार चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाये एवं दवा वितरित की जाये।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए**

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

**प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष सिंह आत्मज श्री दुले सिंह रघुवंशी, निवासी– ग्राम जमोदी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 12000 एवं मुरूम 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 213/3, 225/3, रकबा 1.750 हेक्टेयर, ग्राम जमोदी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के आदेश क्र. 2395 दिनांक 30.12.2020 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.12.2030 तक मान्य रहेगी।**

2. **प्रकरण क्रमांक 8021/2021 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर.जे. ट्रेडर्स, प्रोपराईटर, श्री नबी बख्श आत्मज श्री रहीम बख्श, निवासी–नया बाजार नं. 02, जिला दमोह (म.प्र.) ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 2400 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 36, रकबा 6.50 हेक्टेयर, ग्राम जमुनिया, तहसील शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–**

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डल जिला सागर के पत्र क्र. 1586 दिनांक 13.06.2017 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।

2. **लीज संबंधी विवरण –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जिला सागर के आदेश क्र. 1644 दिनांक 30.12.2019 के अनुसार 20 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

3. **जल आपूर्ति –**परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.0 किलो लीटर प्रतिदिन है (5.0 केएलडी हरित पट्टी विकास + 2.0 केएलडी धूल धमन हेतु + 1.0 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।

4. **वृक्षारोपण कार्य–**परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 7800 पेड़ बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, शासकीय विधालय इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।

5. **जनसुनवाई –** उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 24.11.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम पंचायत, ग्राम जमुनिया (तारपोह), तहसील शाहगढ़, जिला सागर में अपर कलेक्टर, सागर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं करेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में स्थिति 80 जीवित वृक्षों में से 35 पेड़ वृक्ष सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से काटे जायें एवं इसके एवज में 350 अतिरिक्त वृक्ष लगाये जायेंगे तथा उनका रखरखाव किया जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मलित समस्त खदान धारको के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VIII. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 7800 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

- ग्राम जमुनिया की आंगनबाड़ी को दो वर्ष गोद लिया जाये एवं उसके सम्पूर्ण खर्च का वहन किया जाये।
- ग्राम जुमनिया में ग्राम पंचायत के परामर्श से पूरक पोषण आहार का वितरण किया जाये।
- ग्राम जुमनिया में 1000 फल देने वाले पौधें (इमली, आंवला, हर्रा, बहेडा, सीताफल, अमरूद, मुनगा, आम, नींबू, जामून एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ) एक वर्ष में वितरित किये जाएंगे। (यह गतिविधि मध्य प्रदेश सरकार की ''अंकुर योजना'' के तहत की जाएगी।)

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर.जे. ट्रेडर्स, प्रोपराईटर, श्री नबी बख्श आत्मज श्री रहीम बख्श, निवासी– नया बाजार नं. 02, जिला दमोह (म.प्र.) ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 2400 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 36, रकबा 6.50 हेक्टेयर, ग्राम जमुनिया, तहसील शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के आदेश क्र. 1644 दिनांक 30.12.2019 के** अनुसार **20 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.12.2039 तक मान्य रहेगी।**

3. **प्रकरण कमांक 8054/2020 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.आर. ट्रेडर्स, प्रोपराईटर, श्री वसीम अहमद आत्मज श्री मोहम्मद यूसुफ, निवासी–नया बाजार नं. 02, जिला दमोह (म.प्र.) ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 2400 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 36, रकबा 6.00 हेक्टेयर, ग्राम जमुनिया, तहसील शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–**

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डल जिला सागर के पत्र क्र. 1588 दिनांक 13.06.2017 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।

2. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर द्वारा का आदेश क्र. 1645 दिनांक 30.12.2019 के अनुसार 20 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.0 किलो लीटर प्रतिदिन है (5.0 केएलडी हरित पट्टी विकास + 2.0 केएलडी धूल धमन हेतु + 1.0 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।

4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 7200 पेड़ बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, शासकीय विधालय इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।

5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 24.11.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम पंचायत, ग्राम जमुनिया (तारपोह), तहसील शाहगढ़, जिला सागर में अपर कलेक्टर, सागर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 100 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं करेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में स्थिति 40 जीवित वृक्षों में से 25 पेड़ वृक्ष सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से काटे जायें एवं इसके एवज में 250 अतिरिक्त वृक्ष लगाये जायेंगे तथा उनका रखरखाव किया जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मलित समस्त खदान धारको के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VIII. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 7200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम जमुनिया के शासकीय स्कूल की मरम्मत व रंग रोगन का कार्य किया जाये एवं वाटर कूलर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के साथ स्थापित किया जाये।
- ग्राम जमुनिया में ग्रामीणों को विशेषकर गर्मी के मौसम में वाटर टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था की जाये।
- ग्राम पंचायत के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिबद्धता अनुसार किया जायें।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.आर. ट्रेडर्स, प्रोपराईटर, श्री वसीम अहमद आत्मज श्री मोहम्मद यूसुफ, निवासी–नया बाजार नं. 02, जिला दमोह (म.प्र.) ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 2400 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 36, रकबा 6.00 हेक्टेयर, ग्राम जमुनिया, तहसील शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के आदेश क्र.**

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

1645 दिनांक 30.12.2019 के अनुसार 20 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.12.2039 तक मान्य रहेगी।

4. **Case No 9084/2022:** Prior Environment Clearance for Proposed Developemnt of Site (A-1 Statue & Museum and Site A-2 Parking) "Statue of Oneness" at Village - Mandhata, Tehsil - Punasa, Dist. Khandwa, MP by Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation Limited, Dist. Bhopal, MP - 462003.

1. This is a case of Prior Environment Clearance for Proposed Developemnt of Site for (A-1 Statue & Museum and Site A-2 Parking) "Statue of Oneness" at Village - Mandhata, Tehsil - Punasa, Dist. Khandwa, MP.

2. The project involves the construction/development of Statue of Oneness, Museum and Parking Facility. The maximum heights for the statue will be 60 M and for Building 12 M. The Total Land Area– 1,86,600.00 sq. m [18.66 ha (11.56 ha. For Site A1 + 7.1 ha. For Site A2)] Net Planning Area – 1,15,600.00 sq.m. Total Proposed Built up area - 55100.62 (A1 = 52346.5 **s**q. **m**. + A2 = 2754.12 Sq.mt.).

3. As per the T & CP Khandwa & Burhanpur (163/JAN-434/NAGRANI/2022 Khandwa dated 13/02/2022 ) the total Area is **–** 150.140 **ha .**Out of the total 150.140ha area 18.660 ha land is allocatd for the eshtablishment of “statue of Oneness”. The total built up area proposed by PP is 55100.62 sq.m. The project comes under 8 (a) category (B) of schedule of EIA Notification, 2006 because total construction is between 20,000 sq.mt. & 1, 50,000 sq mt. and plot area is less than 50 ha.

**4. Salient Features of the Project :**

| | |
|---|---|
| Name of the Project | “Statue of Oneness” Proposed |
| Coordinates of Site | 22°14'58.11"N,<br>76° 9'0.72"E |
| Total Plot Area | 1,86,600.00 sq.m. (18.66 ha.) |
| Proposed Built–Up Area | 55100.62 sq.m (A1 - 52346.5 sq. m + A2 = 2754.12 sq.m.)PP has obtained permission from T& CP vide letter 163/JAN-434/NAGRANI/2022 KhandwaDATED 13/02/2022 |
| Water requirement | 1200 KLD Source - Narmada Water Supply It will cater the domestic requirement whereas additional water requirement will be fulfilled by treated water from STP. WRD NOC has been obtained by PP. |
| Waste Water Generation | 660 KLD ( 650 KLD WATER AND 10 KLD SLUDE) |
| Treated Waste Water Generation | 650 KLD (480 KLD + 170 KLD) |
| Capacity of STP | 800 KLD (600 KLD + 200 KLD) Treatment Concept : SBR (Sequential Batch Reactor)<br>PP has obtained NOC (**344/LO.NI./N.PARI./2022 DATED** |

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

| | |
|---|---|
| | **25/02/2022**) from **Omkareshwar** Municipal council Khandwa.for disposal of extra treated waste water |
| Solid Waste Generation | 13.5TPD<br>PP has obtained NOC **(**343/LO.NI./N.PARI./2022 dated 25/02/2022**)** from Omkareshwar Municipal council Khandwa for disposal of MSW. |
| Power requirement<br>Source of Power | 5828.93 KVA<br>:MPSEB |
| DG Set | 7000 KVA. (4 X 1250 KVA, 2 X 1000 KVA) |
| UPS | 2000 KVA (4 X 500 KVA (1 Stand by Extra) |
| Solar Panel | 711 KW |
| Parking | A-1 & A-2 site is 1884 ECS each |
| Height of the Statue | 60 M (from ground) |
| Height of Building | 12 M |
| Railway Station | Omkareshwar Railway Station 11 Km (SW) |
| Air Port | Indore Airport– 62.63 Km (NW) |
| Topography | Hilly terrain |
| Annual Average Rainfall | 777.60 mm |
| Rain Water Harvesting | 2 no. of rainwater storage tank has been proposed of 672 Cum (Site A1) and 599 cum (Site A2). |
| Green belt | In the proposed project 72464.5 Sq.mt. (56,622 Sq.mt. Site A1 + 15842.5 Sq.mt. Site A2) areas is allocated for greenbelt/landscape development in which 1845 trees have been proposed in plantation scheme. |
| Project Cost | 826.98 Cr. |

**After discussion, it is decided to accept the recommendations of 562 SEAC meeting dated 29.03.22 and accord Prior Environmental Clearance for proposed Developemnt of Site for (A-1 Statue & Museum and Site A-2 - Parking) "Statue of Oneness" at Village - Mandhata, Tehsil - Punasa, Dist. Khandwa, MP by Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation Limited, Dist. Bhopal, MP – 462003 subject to following specific conditions imposed by SEIAA:-**

1. The fresh water supply arrangement should be met through Narmada Water suppply as per NOC obtained from WRD and there should no extraction of ground water.
2. PP should ensure linkage with municipal council Omkareshwar Khandwa for disposal of extra treated waste water.
3. For Solid Waste Management eensure linkage with municipal council Omkareshwar Khandwa for final disposal of MSW. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**4.** PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

**5. For firefighting:-**

a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. fire fighting NOC(440/LO.NI./N.PARI./2022 Omkareshwar dated 10/03/2022) All the required fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC 2005.

b. The occupancy permit shall be issued by Municipal council only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

**6.** PP should ensure to provide car parking total- A-1 & A-2 site is 1884 ECS each.

**7.** Solar lights provide for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

**8.** electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy

**5. प्रकरण क्रमांक 9082/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री जगदीश आत्मज श्री रामचन्द्र, निवासी ग्राम जबरदी, तहसील पचौर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 507/2, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम जामोन्या जोहार, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन ।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

**उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।**

**6. प्रकरण कमांक 9074/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री रघुराज सिंह, निवासी– ग्राम सरसैनी, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 25000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 34, रकबा 1.61 हेक्टेयर, ग्राम विधनिया, तहसील दतिया, जिला दतिया (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन ।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

**SEAC द्वारा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खनन क्षेत्र से खदान स्थल के उत्तर दिशा में 70 मीटर पर रोड हैं तथा पूर्व दिशा में 290 मीटर पर कच्चा रोड़ है । इसी प्रकार आवंटित क्षेत्र के उत्तर–पश्चिम दिशा में 75 मीटर पर तथा दक्षिण–पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर नहर होना बताया गया**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**है। चूँकि माननीय एनजीटी के ओ.ए. नंबर 304/2019 में पारित आदेश एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश दिनांक 09.07.2020 के परिपालन में मानव बसाहट/ संवेदनशील क्षेत्र/ राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग/ पब्लिक रोड़/ पुल/ बांध/ नदी/ नहर इत्यादि में प्रस्तावित खनन क्षेत्र से नॉन ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 100 मीटर और ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 200 मीटर की प्रतिबंधित दूरी निर्धारित है।**

**अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार आदेश एवं निर्देशों के परिपालन में पब्लिक रोड़ एवं नहर से प्रतिबंधित दूरी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि खनन योग्य क्षेत्र की न्यूनतम उपलब्धता के दृष्टिगत पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को प्रेषित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

7. **प्रकरण क्रमांक 9077/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शिव मिनरल्स, संचालक, श्री अजय पाल सिंह परमार, निवासी–6 कि.मी., सागर रोड़, पोस्ट–धादरी, जिला छतरपुर (म.प्र.) रेड ऑकर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 62359 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 51/1, रकबा 1.489 हेक्टेयर, ग्राम कोटा, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेडों को नहीं काटा जाये एवं उनका रखरखाव किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त, सागर की बैठक दिनांक 01.10.2021 में वन सीमा खदान क्षेत्र से 250 मीटर से कम होने के कारण की गई अनुशंसा में निहित समस्त शर्तों का परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।**

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

- ग्राम की समीपस्थ आंगनबाड़ी को एक वर्ष के लिये गोद लिया जाये एवं उसका सम्पूर्ण व्यय वहन किया जाये।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शिव मिनरल्स, संचालक श्री अजय पाल सिंह परमार, निवासी–6 कि.मी., सागर रोड़, पोस्ट–धादरी, जिला छतरपुर (म.प्र.) रेड ऑकर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 62359 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 51/1, रकबा 1.489 हेक्टेयर, ग्राम कोटा, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय खनिज साधन विभाग का आदेश क्र. एफ 3–4/2008/12–1 दिनांक 20.10.2010 के द्वारा 20 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.10.2030 तक मान्य रहेगी।**

8. **प्रकरण क्रमांक 9080/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री सुमित कानूनगो आत्मज श्री गणेश कानूनगो, निवासी–11 प्रयाग पार्क, सनावद, जिला खरगौन (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 19000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 463/1, रकबा 1.990 हेक्टेयर, ग्राम गंधावड़, तहसील सेगांव, जिला खरगौन (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं करेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2300 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम गंधावड़ की आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से 01 वर्ष तक पोषण आहार वितरित किया जायेगा एवं उसका सम्पूर्ण व्यय का वहन किया जायेगा।
- ग्राम मुल्तान पी.एच.सी. में 200 औषधीय पौधों का रोपण किया जाये एवं उसका रखरखाव किया जाये।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री सुमित कानूनगो आत्मज श्री गणेश कानूनगो, निवासी–11 प्रयाग पार्क, सनावद, जिला खरगौन (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 19000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 463/1, रकबा 1.990 हेक्टेयर, ग्राम गंधावड़, तहसील सेगांव, जिला खरगौन (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन का आदेश क्र. 5472 दिनांक 02.12.2021 एवं पत्र क्र. 5512 दिनांक 15.03.2022 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.12.2031 तक मान्य रहेगी।**

9. **प्रकरण क्रमांक 9079/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री प्रकाश गुरबेले आत्मज श्री योगेश गुरबेले, निवासी– वार्ड नं. 11, भटेरा रोड़, जिला बालाघाट (म.प्र.) ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) द्वारा उत्पादन क्षमता ब्लॉकेबल ग्रेनाईट 2919 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC की अनुशंसा अनुसार), खसरा नं. 139, रकबा 4.576 हेक्टेयर, ग्राम कुल्पा, तहसील लांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 का कार्यवाही विवरण

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं करेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 100 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मरघट के चारो ओर बरगद, पीपल, पाकड़, नीम एवं गूलर के पौधों का रोपण किया जाये एवं उनका रखरखाव किया जायें

IV. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 5493 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम कुल्पा के शासकीय हाई स्कूल में 30 बेंच व 10 कुर्सियों का वितरण किया जाये।
- ग्राम कुल्पा की आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से 01 वर्ष तक पोषण आहार वितरित किया जायेगा एवं उसका सम्पूर्ण व्यय का वहन किया जायेगा।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

**प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री प्रकाश गुरबेले आत्मज श्री योगेश गुरबेले, निवासी– वार्ड नं. 11, भटेरा रोड़, जिला बालाघाट (म.प्र.) ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता ब्लॉकेबल ग्रेनाईट 2919 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC की अनुशंसा अनुसार), खसरा नं. 139, रकबा 4.576 हेक्टेयर, ग्राम कुल्पा, तहसील लांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के पत्र क्र. 15735 दिनांक 26.12.2020 के द्वारा 30 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.12.2050 तक मान्य रहेगी।**

**10. प्रकरण क्रमांक 9081/2022 – परियोजना प्रस्तावक अब्दुल सादिक कुरेशी, निवासी– वार्ड नं. 6, वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 5613 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 01, 411, 514, 508/2, रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम डोंगरिया, रिंगाझरी, जबरटोला, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **तालाब से 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं करेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 05 जीवित वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका रखरखाव किया जायेगा।**

IV. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम रेंगाझिरी की आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से 01 वर्ष तक पोषण आहार वितरित किया जायेगा एवं उसका सम्पूर्ण व्यय का वहन किया जायेगा।
- ग्राम रेंगाझिरी के शासकीय स्कूल एवं आंगनबाड़ी परिसर में 50 वृक्ष ट्री गार्ड एवं नेम प्लेट सहित रोपण किया जायेगा एवं उनका रखरखाव किया जायेगा।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक अब्दुल सादिक कुरेशी, निवासी– वार्ड नं. 6, वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 5613 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 01, 411, 514, 508/2, रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम डोंगरिया, रिंगाझरी, जबरटोला, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के पत्र क्र. 3256 दिनांक 29.12.2020 एवं पत्र क्र. 1405 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.12. 2030 तक मान्य रहेगी।**

**11. प्रकरण क्रमांक 9083/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री रंजीत सोनी आत्मज श्री रमाकांत सोनी, निवासी– देवरा, तहसील डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 203, 204, रकबा 1. 00 हेक्टेयर, ग्राम हिनोता माल, तहसील डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 की अनुशंसा को

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **हाईटेंशन लाईन से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 02 जीवित वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका रखरखाव किया जायेगा।**

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम हिनोता माल की आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से 01 वर्ष तक पोषण आहार वितरित किया जायेगा एवं उसका सम्पूर्ण व्यय का वहन किया जायेगा।
- ग्राम हिनोता माल के शासकीय स्कूल एवं आंगनबाड़ी परिसर में 100 वृक्ष ट्री गार्ड एवं नेम प्लेट सहित रोपण किया जायेगा एवं उनका रखरखाव किया जायेगा।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री रंजीत सोनी आत्मज श्री रमाकांत सोनी, निवासी– देवरा, तहसील डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 203, 204, रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम हिनोता माल, तहसील डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी के पत्र क्र. 699 दिनांक 23.02. 2022 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.02.2032 तक मान्य रहेगी।**

**12. प्रकरण क्र. 8999/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मनुप्रिया यादव, निवासी– भैसोदा मण्डी, तहसील भानपुरा जिला – मंदसौर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), खसरा नं. 1232, रकबा 2.652 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर –8,512 एवं सेलेबल वेस्ट 5,488 घनमीटर प्रतिवर्ष, ग्राम बवुल्दा, तहसील भानपुरा जिला– मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 एवं 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्र. 2380 दिनांक 17.11.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत नहीं होना उल्लेखित है यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार अन्य खदान परिलक्षित है एवं क्रेशर भी स्थापित है। इस कारण आवेदित प्रकरण बी–1 अथवा बी–2 श्रेणी का है, यह स्पष्ट नहीं होता है। अतः खनिज अधिकारी, मंदसौर से 15 दिवस की अवधि में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त किया जाने का निर्णय लिया गया। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।**

**13. प्रकरण कमांक 6311/2019 – परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक कुमावत आत्मज श्री जसवंत कुमावत, निवासी– ए–23, डोंगरे नगर, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 14938 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 3/1/1/1, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम सांवलिया रूण्डी, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–**

6. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल जिला रतलाम के पत्र क्र. 4056 दिनांक 13.12.2017 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।

7. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय संचालक भौमिक तथा खनिकर्म, भोपाल के पत्र क्र. 2977 दिनांक 18.02.2019 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

8. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.65 किलो लीटर प्रतिदिन है (1.665 केएलडी हरित पट्टी विकास + 1.65 केएलडी धूल धमन हेतु + 1.335 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।

9. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 4800 पेड़ बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, ग्राम पंचायत इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।

10. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 16.09.2021 को ग्राम पंचायत राजपुरा, तहसील व जिला रतलाम में अपर कलेक्टर, **रतलाम** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नदी से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।**

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मलित समस्त खदान धारको के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

V. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VI. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 4800 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम सांवलियारूण्डी में सबमर्सिबल पम्प के साथ 02 हैण्डपम्प की स्थापना की जाये।
- ग्राम सांवलियारूण्डी में शीतला माता मंदिर और नाला तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य किया जाये।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक कुमावत आत्मज श्री जसवंत कुमावत, निवासी– ए–23, डोंगरे नगर, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 14938 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 3/1/1/1, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम सांवलिया रूण्डी, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय संचालक भौमिक तथा खनिकर्म, भोपाल के पत्र क्र. 2977 दिनांक 18.02.2019 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.02.2029 तक मान्य रहेगी।**

**14. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – जिला शिवपुरी :–**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 में जिला शिवपुरी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

*राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 562वीं बैठक दिनांक 29/03/22 में शिवपुरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि :–*

✓ *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र. ने पत्र क्रमांक–3–6/खनि/615/2022, दिनांक 22/3/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का*

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

*गठित समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है ।*

- ✓ *इसी प्रकार कार्यालय (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र. ने पत्र क्रमांक–3–6/खनि/653/2022, दिनांक 25/3/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर अपलोड किया गया है किंतु आज दिनांक 25/3/22 तक कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए है । यदि कोई सुझाव प्राप्त होते है तो उनको जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा ।*

- ✓ *राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारी (सिया) के पत्र क्रमांक 3581 दिनांक 25/03/22 के माध्यम से शिवपुरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियॉ समाहित की गई है परंतु बिंदु क्रमांक–22 (एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक 26) की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, में शिवपुरी जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है किंतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है । अतः समिति का सुझाव है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अपडेट किया जाये एवं बिंदु क्रमांक–22 की जानकारी (एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक 26) उसमें समाहित की जाये ।*

- ✓ *समिति का मत है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर अपलोड किया गया है किंतु कार्यालय (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र. ने पत्र क्रमांक–3–6/खनि/653/2022, दिनांक 25/3/22 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको दिनांक 25/3/22 तक कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए है अतः यदि इस संदर्भ में कोई सुझाव प्राप्त होते है तो सस्टेनेबल सेंड माइनिंग गाइडलाईन, 2016, एनफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग, 2020 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप उनको भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाये ।*

*चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि चूँकि शिवपुरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा दिनांक 21/3/22 की बैठक में किया जा चुका है अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ शिवपुरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

**जिला शिवपुरी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना 25.07.2018 अनुसार 21 दिवस तक जिला स्तर पर पब्लिक पोर्टल पर रखा जाना अनिवार्य है चूँकि जिला कलेक्टर शिवपुरी की बेवसाईट पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.03.2022 को दर्शित की गई है जिसे 21 दिवस 10.04.2022 को पूर्ण होंगे। अतः उपरोक्तानुसार जिला कलेक्टर से 21 दिवस की कार्यवाही पूर्ण होने एवं इस अवधि में प्राप्त**

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

सुझावों को तथा **SEAC** द्वारा दिये सुझावों का परीक्षण कर अनुशंसित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत आगामी **SEIAA** बैठक में प्रस्तुत की जावेगी। जिला कलेक्टर शिवपुरी को सूचित किया जाये।

**B. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा :–**

**15. प्रकरण क्रमांक 8272/2021 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स करम चन्द्र एसोसियेट के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संदेश कुमार जैन, निवासी सिविल लाईन, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 500940 टन प्रति वर्ष, खसरा नं. 75/1 भाग, 75/2 भाग, 74 भाग, 100 भाग, 103/1 भाग, 103/2 भाग, 103/3 भाग, 134 भाग, 135 भाग, रकबा 26.570 हेक्टेयर, ग्राम सलैया पहराई, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–**

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डल जिला कटनी के पत्र क्र. 5115 दिनांक 26.09.2020 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।

2. **लीज संबंधी विवरण –** कलेक्टर जिला कटनी द्वारा निष्पादित पूरक अनुबंध दिनांक 06.09. 2018 के अनुसार खनिज पट्टे की लीज अवधि 09.06.1998 से 08.06.2028 (30 वर्ष) तक के लिये स्वीकृत है।

3. **जल आपूर्ति –** परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.255 किलो लीटर प्रतिदिन है (2.33 केएलडी हरित पट्टी विकास + 1.035 केएलडी धूल धमन हेतु + 1.89 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर एवं मौजूद खनन गड्डे के माध्यम से की जायेगी।

4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 32000 पेड़ बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, ग्राम पंचायत इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।

5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 27.08.2021 को ग्राम सलैया पहराई, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी में अपर कलेक्टर, **कटनी** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

**परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संदेश जैन द्वारा ऑनलाईन एवं उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार एसीरीज इन्वायरोटेक इण्डिया प्रा.लि. लखनऊ (श्री अमर सिंह यादव) द्वारा प्रकरण में प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 का कार्यवाही विवरण

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–4) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।**

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मलित समस्त खदान धारको के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VI. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 32000 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम सलैया पहराई में सबमर्सिबल पम्प के साथ 02 हैण्डपम्प की स्थापना की जाये।
- ग्राम सलैया पहराई की आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से 02 वर्ष तक पोषण आहार वितरित किया जायेगा एवं उसका सम्पूर्ण व्यय का वहन किया जायेगा।

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

- ग्राम सलैया पहराई के शासकीय स्कूल में 20 टेबिल एवं कुर्सी वितरित की जायें एवं स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत व रंग रोगन का कार्य किया जाये।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक मेसर्स करम चन्द्र एसोसियेट के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संदेश कुमार जैन, निवासी सिविल लाईन, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 500940 टन प्रति वर्ष, खसरा नं. 75/1 भाग, 75/2 भाग, 74भाग, 100 भाग, 103/1 भाग, 103/2 भाग, 103/3 भाग, 134 भाग, 135 भाग, रकबा 26.570 हेक्टेयर, ग्राम सलैया पहराई, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कलेक्टर जिला कटनी द्वारा निष्पादित पूरक अनुबंध दिनांक 06.09.2018 के अनुसार खनिज पट्टे की लीज अवधि 09.06. 1998 से 08.06.2028 (30 वर्ष) तक के लिये स्वीकृत है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.06.2028 तक मान्य रहेगी।**

16. **प्रकरण क्रमांक 8292/2021 – परियोजना प्रस्तावक श्री प्रताप सिंह चौहान, एम.आई.जी. 2/12, जैन मंदिर के पीछे, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट, सोपस्टोन एवं क्वार्टज खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 23546 घनमीटर प्रतिवर्ष (62396 टन प्रति वर्ष), खसरा नं. 621, 634, 635, 636, 637, 638 रकबा 2.911 हेक्टेयर, ग्राम भदावर, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 एवं 511वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–**

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल जिला कटनी के पत्र क्र. 1585 दिनांक 30.03.2015 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – कलेक्टर जिला कटनी द्वारा निष्पादित पूरक अनुबंध दिनांक 06.09. 2018 के अनुसार खनिज पट्टे की लीज अवधि 09.06.1998 से 08.06.2028 (30 वर्ष) तक के लिये स्वीकृत है।

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

3. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के पत्र क्र. 11152 दिनांक 13.05.2021 द्वारा खान एवं खनिज अधिनियम 2015 अनुसार लीज की अवधि 50 वर्ष किये जाने के प्रवधान है का उल्लेख किया गया है।

4. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.36 किलो लीटर प्रतिदिन है (0.70 केएलडी हरित पट्टी विकास + 4.0 केएलडी धूल धमन हेतु + 0.66 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर एवं मौजूद खनन गड्डे के माध्यम से की जायेगी।

5. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 3494 पेड़ बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, ग्राम पंचायत इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।

6. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 20.08.2021 को ग्राम भदावर, तहसील बडवारा, जिला कटनी में अपर कलेक्टर, **कटनी** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

**परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संदेश जैन द्वारा ऑनलाईन एवं उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार एसीरीज इन्वायरोटेक इण्डिया प्रा.लि. लखनऊ (श्री अमर सिंह यादव) द्वारा प्रकरण में प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।**

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–4) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं करेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट से 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मलित समस्त खदान धारको के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VII. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 3494 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम भदावर की आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से 02 वर्ष तक पोषण आहार वितरित किया जायेगा एवं उसका सम्पूर्ण व्यय का वहन किया जायेगा तथा आंगनबाडी केन्द्री की पुताई व रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम सलैया पहराई के शासकीय प्राथमिक स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत, पुताई व रंग रोगन का कार्य किया जाये एवं स्कूल बैग्स व बुक्स वितरित की जायें।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री प्रताप सिंह चौहान, एम.आई.जी. 2/12, जैन मंदिर के पीछे, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट, सोपस्टोन एवं क्वार्टज खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 23546 घनमीटर प्रतिवर्ष (62396 टन प्रति वर्ष), खसरा नं. 621, 634, 635, 636, 637, 638 रकबा 2.911 हेक्टेयर, ग्राम भदावर, तहसील वड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के पत्र क्र. 11152 दिनांक 13.05.2021 द्वारा खान एवं खनिज अधिनियम 2015 अनुसार लीज की अवधि 50 वर्ष किये जाने के प्रवधान है का उल्लेख किया गया है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के पत्र क्र. 11152 दिनांक 13.05.2021 के अधीन रहेगी।**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

## C. रेत खनन के पर्यावरणीय स्वीकृति एवं पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण के प्रकरणों के निराकरण हेतु नीतिगत निर्णय –

म.प्र. में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति एवं पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण के प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया के संबंध में माननीय NGT (स्पेशल बैंच) नई दिल्ली के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं तदोउपरांत माननीय NGT (CZ) के द्वारा ओ.ए. नम्बर 10/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2022 के परिपालन में खनिज साधन विभाग, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, समस्त जिला कलेक्टर, SEIAA एवं SEAC के लिये पृथक–पृथक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त आदेशों/दिशा निर्देशों के परिपालन में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को विधिवत तैयार कर परीक्षण एवं अनुमोदन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है, इसके परिपालन में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा पत्र दिनांक 03.03.2022 के माध्यम से समस्त जिला कलेक्टर को उप संभागीय समिति गठित कर नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के परीक्षण तथा MoEF&CC द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.07.2018 अनुसार 21 दिवस की अवधि हेतु जिला के पोर्टल पर आमजन के सुझाव हेतु रखे जाने के उपरांत SEAC की अनुशंसा पर SEIAA द्वारा अनुमोदन हेतु भेजा जाना निर्देशित किया गया है।

इस प्रक्रिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय अभिकरण द्वारा पारित आदेशों के परिपालन में जिला स्तर पर नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। चूँकि जिला स्तर पर नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार कर जिला स्तरीय उप संभागीय समिति के द्वारा अनुमोदन एवं SEAC द्वारा विस्तृत परीक्षण उपरांत अनुशंसित किये जाने के बाद SEIAA द्वारा अनुमोदन किये जाने की समय–सीमा निर्धारित की गई है, इससे यह स्पष्ट है कि समस्त जिलों में MoEF&CC द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.07.2018 के अनुसार निर्धारित मापदण्डों, प्रपत्रों एवं जिला स्तर पर पोर्टल पर रखे जाने हेतु निर्धारित समयावधि में परीक्षण तथा अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण करने में कम से कम 02–03 माह का समय लगना संभावित है।

उल्लेखनीय है कि म.प्र. में रेत का उत्खनन मानसून अवधि के दौरान (30 जून से 31 अक्टूबर) तक प्रतिबंधित रहता है। भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण स्वीकृति एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिलों में अवैध उत्खनन के अनेक प्रकरण देखने में आये हैं। अवैध उत्खनन न हो और वैध उत्खनन से राज्य शासन को राजस्व प्राप्ति होना चाहिए।

नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन हेतु अनुमानित 02–03 माह की समयावधि, भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण स्वीकृति एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदनों की संख्या में वृद्धि, जिला स्तर पर अवैध रेत उत्खनन के प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी 2016 एवं 25 जुलाई 2018 तथा Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के परिपालन के साथ ही माननीय NGT (स्पेशल बैंच) नई दिल्ली के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं तदोउपरांत माननीय NGT (CZ) के द्वारा ओ.ए. नम्बर 10/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2022 में दिये गये दिशा

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 का कार्यवाही विवरण

निर्देशों के परिपालन में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श कर SEIAA की पूर्व बैठकों – 705वी बैठक दिनांक 15.02.2022 के कार्यवाही बिन्दु– ***C. म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में रेत खनन के निरस्त एवं समर्पित ठेकों से संबंधित जिलों में SEIAA द्वारा प्रदत्त EC/ToR/EC Transfer/Delist प्रकरणों पर लिये गये निर्णय*** तथा SEIAA 711वी बैठक दिनांक 09.03.2022 में कार्यवाही ***बिन्दु क्र. 21 नवीन जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन बावत्*** लिये गये निर्णयों पर पुर्नविचार कर रेत खनन हेतु पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदित प्रकरणों के यथाशीघ्र निराकरण के दृष्टिगत सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. माननीय NGT (CZ) के द्वारा ओ.ए. नम्बर 10/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2022 में दिशा निर्देशों के अंर्तगत –

   ***Recommendations :***

   *iii. "MP-SEIAA shall grant the EC after verification on field in EC transfer case to ascertain the availability of minable mineral quantity."*

   **..... के परिपालन में SEIAA द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के प्रत्येक प्रकरण में संबधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण/सर्वेक्षण उपरांत प्रस्तावित रेत खनन क्षेत्र मे पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनित रेत की मात्रा के अतिरिक्त प्रस्तावित खनन क्षेत्र में उपलब्ध रेत की मात्रा का आकलन कर अभिप्रमाणित जानकारी संलग्न की जावे।**

2. इसके अतिरिक्त पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण संबंधित प्रकरणों में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 एवं बाद के संशोधनों के परिपालन में निम्नानुसार दस्तावेज अनिवार्यतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 के साथ प्रस्तुत किये जायें : –

   2.1 नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित रेत खदान की सम्पूर्ण जानकारी का समावेश किया जायेगा इस बावत् प्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

   2.2 अनुमोदित माईनिंग प्लान में प्रस्तावित रेत खदान की उत्पादन क्षमता खनिज विभाग/कार्यालय कलेक्टर द्वारा स्वीकृत निविदा में निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी/जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।

   2.3 संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर अनुमोदिन माईनिंग प्लान में वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन (Anual Replenishment Study) में पूर्व में उत्खनित रेत की मात्रा एवं वर्तमान में उपलब्ध रेत की मात्रा का पूर्ण विवरण अनिवार्यतः दिया जाना चाहिए।

   2.4 पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में SEIAA द्वारा पूर्व में जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.10.2021 के परिशिष्ट–2 एवं 3 के निर्धारित प्रारूप में पूर्व परियोजना प्रस्तावक की अनापत्ति तथा नवीन परियोजना प्रस्तावक की सहमति दिये जाने का प्रावधान

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

है किन्तु ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व परियोजना प्रस्तावक के ठेके म.प्र. माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा निरस्त एवं समर्पित मान्य किये गये हैं ऐसी स्थिति में पूर्व परियोजना प्रस्तावक के स्थान पर म.प्र. माईनिंग कार्पोरेशन के अधिकृत प्रतिनिधि/संबंधित जिले के खनिज अधिकारी द्वारा दी गई अनापत्ति मान्य की जावेगी। इन प्रकरणों में म.प्र. माईनिंग कार्पोरेशन के अधिकृत प्रतिनिधि/ संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी /खनिज अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया गया है तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई न्यायालयीन वाद/विवाद प्रक्रियाधीन है अथवा नहीं है।

2.5 खनिज साधन विभाग/कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी लीज हस्तांतरण आदेश की प्रति आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जाना चाहिए।

2.6 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 के पृष्ठ संख्या 37 एवं 51 अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता 05 वर्ष तक ही मान्य होगी। इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तावित खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित प्रकरणों में 05 वर्ष की लीज अवधि का स्पष्ट रूप से अभिप्रमाणीकरण पत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।

2.7 परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की प्रति संलग्न की जाना चाहिए।

**3. प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदित समस्त प्रकरणों में उपरोक्त निर्णित कार्यवाही बिन्दु क्र. 2 व 3 में उल्लेखित प्रक्रिया एवं दस्तावेजों का संबंधित जिला कलेक्टर/संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म/म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा अभिप्रमाणीकरण करने के उपरांत निम्नलिखित शर्त पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित की जावेगी –**

***"परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन मान्य होने के उपरांत ही उत्खनन कार्य किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा"***

4. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन के अधीन रहेंगी, जिसके परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण में उल्लेखित की जाने वाली उत्पादन क्षमता निविदत्त मात्रा से अधिक नहीं होगी (अनुमोदित खनन योजना, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति, निविदा एवं प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान की दर्शित उत्पादन क्षमता में जो भी न्यूनतम हो पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरित की जायेगी) एवं पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में निहित शेष समस्त शर्तें यथावत मान्य रहेंगी।

5. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**परिशिष्ट–1**

## गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

**<u>खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–</u>**

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonatoत) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

---

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

**परिशिष्ट–2**

## गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08. 2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

---

**परिशिष्ट–3**

## गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
5. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08. 2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
9. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

15. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
16. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

---

**परिशिष्ट–4**

## मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

11. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।

13. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

22. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

**(श्रीमन् शुक्ला)**
**सदस्य सचिव**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

**25.** यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

26. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

---

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष